की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10-12-2024 को पेश हो।

10-12-24

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी [illegible] में तशरीफ रखते हैं। अभिभाषकगण अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अभिभाषकगण कार्य स्थगन पर हैं। अतः पत्रावली वास्ते कार्यवाही हेतु दिनांक 17-12-24 को पेश हो।

कार्य स्थगन

17-12-24 पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली उपस्थित दस्तावेज व जवाब सरकार के अवलोकन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 23/2024 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 06.05.2024 — श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

बृजबिहारी आ0 श्री कल्याण लाल जी जाति ब्राह्मण निवासी बडाखेडा हाल निवास थागदी देवरा बून्दी तहसील बून्दी जिला बून्दी, राजस्थान। –प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–अप्रार्थी

प्रार्थना वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट
अधिवक्ताः– 1. श्री बाला लाल बीडा (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. प्रतिवादी – सरकार पेरोकार

दिनांकः– 17.12.2024

निर्णय

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत पेश कर कथन किया कि ग्राम पीपल्दाथाक तहसील इन्द्रगढ़ में संवत् 2022 से 2041 में खाता संख्या 17 के खसरा संख्या 380 रकबा 29बीघा 5बिस्वा, खसरा संख्या 383 रकबा 22बीघा 12बिस्वा, खसरा संख्या 387 रकबा 15बिस्वा, खसरा संख्या 388 रकबा 13बिस्वा, खसरा संख्या 389 रकबा 2बीघा 9बिस्वा, खसरा संख्या 391 रकबा 10बीघा 7बिस्वा एवं खसरा संख्या 392 रकबा 2बीघा 10बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 94बीघा 5बिस्वा कृषि भूमि थी जिसमें श्री रमावल्लभ का 1/5हिस्सा था। सिलींग प्रकरण में श्री रमा वल्लभ के हिस्सा 1/5 की कुल 19बीघा भूमि माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय,बून्दी ने दिनांक 02.08.1976 को अधिगृहित कर ली थी और नामान्तकरण शुमार नम्बर 45 दिनांक 26.11.1976 से यह भूमि सिवायचक कर दी। इस प्रकार भूमि में श्री रमा वल्लभ का स्वत्व अवशेष नहीं रहा।

इसी प्रकार ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ़ में खसरा संख्या 14 रकबा 5बीघा 17बिस्वा, खसरा संख्या 15 रकबा 2बीघा 8बिस्वा, खसरा संख्या 17 रकबा 21बीघा 9बिस्वा, खसरा संख्या 18 रकबा 12बीघा 5बिस्वा, खसरा संख्या 22 रकबा 7बीघा 17बिस्वा, खसरा संख्या 23 रकबा 4बीधा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 24 रकबा 1बीघा 8बिस्वा, खसरा संख्या 25 रकबा 4बीघा 8बिस्वा, खसरा संख्या 26 रकबा 22बीघा 13बिस्वा, खसरा संख्या 27 रकबा 3बीघा 15बिस्वा, खसरा संख्या 32/599 रकबा 19बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 82बीघा 18बिस्वा भूमि थी जिसमें रमा वल्लभ के 2/5 हिस्से की सारी भूमि 35बीघा 4बिस्वा सिलिंग प्रकरण में अधिग्रहित हो गई और नामांतकरण संख्या 38 से रमावल्लभ का नाम हट गया और उसका कोई हिस्सा अवशेष नहीं रहा। सिलिंग में दोनो गांवो की भूमि में रमावल्लभ के हिस्से की पूरी भूमि अधिग्रहित हो

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

जाने के बाद इन दोनों गांवो की संयुक्त सम्पति में श्री रमावल्लभ का कोई हिस्सा नहीं था किन्तु भूमि राजस्व अभिलेखों में पीपल्दा थाक की भूमि में रमावल्लभ का 1/5हिस्सा तथा माखीदा की भूमि 2/5 हिस्सा दर्ज है जो विधि अनुसार सही नहीं है।

ग्राम पीपलल्दा थाक की कृषि भूमियों के सेटलमेंट के बाद निम्न नये खसरा संख्या अंकित हुए है जो इस प्रकार है ग्राम पीपल्दा थाक की खाता संख्या 89 की कृषिभूमि खसरा संख्या 564 रकबा 0.70है0, खसरा संख्या 565 रकबा 0.10है0, खसरा संख्या 569 रकबा 0.10है0, खसरा संख्या 570 रकबा 0.14है0, खसरा संख्या 571 रकबा 0.22है0, खसरा संख्या 572 रकबा 0.15है0, खसरा संख्या 573 रकबा 0.14है0, खसरा संख्या 575/1396 रकबा 0.12है0, खसरा संख्या 583 रकबा 1.13है0, खसरा संख्या 584 रकबा 0.14है0, खसरा संख्या 585 रकबा 0.01है0, खसरा संख्या 588 रकबा 0.11है0, खसरा संख्या 589 रकबा 0.92है0, खसरा संख्या 590 रकबा 0.03है0, खसरा संख्या 591 रकबा 0.90है0, खसरा संख्या 592 रकबा 0.98है0 कुल खसरे 16 कुल रकबा 5.89है0 बने है। नकल जमाबंदी ग्राम पीपल्दा थाक तहसील इन्द्रगढ़ सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न है। प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम माखीदा की कृषिभूमि सेटलमेंट के बाद निम्न नये खसरा संख्या अंकित हुए है जो इस प्रकार है ग्राम माखीदा की खाता संख्या 140 की कृषिभूमि खसरा संख्या 126/1056 रकबा 0.08है0, खसरा संख्या 130 रकबा 0.08है0, खसरा संख्या 27 रकबा 1.13है0, खसरा संख्या 33 रकबा 0.72है0, खसरा संख्या 34 रकबा 0.54है0 कुल खसरे 5 कुल रकबा 2.55है0 है नकल जमाबंदी ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी सम्वत् 2072–75 संलग्न है। यद्यपि नामांतकरण संख्या 38 दिनांक 06.09.1977 से ग्राम माखीदा की भूमि के तत्कालीन खसरा संख्या 14,15,17,18,22,23,24,26,27,333/599 की 33बीघा 4बिस्वा भूमि व ग्राम पीपल्दा थाक के नामांतकरण संख्या 45 दिनांक 07.12.1976 से खसरा संख्या 384,386,387,388,389,391 व 392 की 19बीघा भूमि तत्कालीन सहखातेदार राधावल्लभ आ0 फतेहलाल ब्राह्मण का सम्पूर्ण हिस्सा सिलिंग में अधिग्रहण हुआ था लेकिन नामांतकरण के शेष खसरा संख्या में अन्य सहखातेदार के साथ राधावल्लभ का नाम राजस्व अधिकारियों की गलती से पूर्व की भांति दर्ज हो गया जो त्रुटिपूर्ण है। जबकि मुताबिक आदेश न्यायालय के आदेशानुसार सरकार बनाम हवाला माफीदार रमावल्लभ का नाम विलोपित होना था तथा तहसीलदार के0पाटन के पत्र क्रमांक 922 दिनांक 06.08.1981 से श्रीमान सहायक जिलाधीश(प्रथम) बून्दी को लिखे पत्र में भी रमावल्लभ की भूमि सींलिग में अधिग्रहण होने के कारण उक्त खाते के बंटवारा प्रस्ताव में रमावल्लभ का नाम अंकित नहीं किये जाने बाबत निवेदन किया था लेकिन राजस्व अधिकारियों ने उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त नहीं किया। असल रिपोर्ट तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ 27.12.2023 व असल रिपोर्ट पटवारी हल्का माखीदा दिनांक 27.12.2023 संलग्न है। प्रार्थी राजस्व अधिकारियों के पास उपरोक्त प्रार्थना पत्र में अंकित कृषिभूमियों में अंकित राधावल्लभ के नाम का गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु निवेदन करता रहा कि दोनों गांवों की भूमि से राधावल्लभ का नाम हटाया जाकर शेष खातेदारान का नाम ही अंकित किया जावे लेकिन राजस्व अधिकारियों ने प्रार्थी के अनुरोध पर गौर नहीं करके श्री राधावल्लभ का नाम हटाया इसलिए प्रार्थी के उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। अन्त में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम माखदा व पीपल्दा थाक की उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड से राधावल्लभ का नाम विलोपित किया जावे एवं शेष सह खातेदारान का यथावत् रखा जाकर शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जर्ये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ सरकार पेरोकार तहसीलदार इन्द्रगढ़ ने इकबालिया जवाब पेश कर कथन

उपखण्ड अधिकारी
इन्द्रगढ़ (बून्दी)

तथा कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इन्तकाल संख्या 38 ग्राम माखीदा तथा इन्तकाल संख्या 45 पीपल्दाथाग में जो राधावल्लभ का नाम इन्तकालों में अंकित है उनको विलोपित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदारान का नाम यथावत रखा जावे।

पत्रावली में प्रार्थी के साक्ष्य करवाये गये। प्रार्थी ने स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थी के बयान लेखबद्ध करवाये गए। प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–1 तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत ग्राम माखीदा की शुद्धि रिपोर्ट प्रपत्र, प्रदर्श–2 तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत ग्राम पीपल्दाथाग की शुद्धि रिपोर्ट, प्रदर्श–3 तहसीलदार इन्द्रगढ़ का उपखण्ड अधिकारी को पत्रांक 3107 दिनांक 27.12.23 से लिखे पत्र की नकल, प्रदर्श–4 उपखण्ड अधिकारी लाखेरी के पत्रांक राजस्व/2023/755 दिनांक 12.12.23 की असल प्रति, प्रदर्श–5 असल रिपोर्ट पटवारी हल्का माखीदा दिनांक 27.12.23, प्रदर्श–6 जमाबंदी सम्वत् 2073–76 ग्राम पीपल्दाथाग खतौनी संख्या 89, प्रदर्श–7 जमाबंदी सम्वत् 2072–75 ग्राम माखीदा खतौनी संख्या 140, प्रदर्श–8 जमाबंदी ग्राम पीपल्दाथाग खतौनी संख्या 89, प्रदर्श–9 जमाबंदी ग्राम माखीदा खतौनी संख्या 140 एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की फोटोप्रति पेश की।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दोराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम माखिदा व पीपल्दा थाक की उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड से राधावल्लभ का नाम विलोपित किया जावे एवं शेष सह खातेदारान का यथावत् रखा जाकर शेष इन्द्राज यथावत रखा जाने का निवेदन किया। बहस समाहत पत्रावली की गयी।

हमने विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज प्रदर्श–1 पटवारी हल्का माखीदा एवं तहसीलदार इन्द्रगढ़ की रिपोर्ट में जाहिर किया गया है कि ग्राम माखीदा की चालू जमाबंदी सम्वत् 2072–75 के खाता संख्या 140 में प्रार्थी खातेदार का नाम कल्याण, धूलीलाल, बृजमोहन, भंवरलाल, मदनलाल, राधावल्लभ, लक्ष्मीनारायण दर्ज है। अतः इस खाता संख्या में से राधावल्लभ का नाम विलोपित किया जाना उचित होगा। प्रदर्श–2 ग्राम पीपल्दाथाग की चालू जमाबंदी सम्वत् 2073–76 के खाता संख्या 89 में प्रार्थी खातेदार का नाम राधावल्लभ, भंवरलाल, बृजलाल, मदनलाल दर्ज है। अतः इस खाता संख्या में से राधावल्लभ का नाम विलोपित किया जाना उचित होगा। प्रदर्श–3 में तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा उपखण्ड अधिकारी को दिनांक 27.12.2023 को पत्र पेश कर मुताबिक पटवारी हल्का माखीदा रिपोर्ट नामांतकरण संख्या 38 दिनांक 06.09.1977 से तत्कालीन खसरा संख्या 14,15,17,18,22,23,24,36,27,333/599 की 33बीघा 4बिस्वा भूमि एवं ग्राम पीपल्दाथाग के नामांतकरण संख्या 45 दिनांक 07.12.1976 के खसरा संख्या 384, 386, 387, 388, 389, 391, 392 की 19बीघा भूमि तत्कालीन सहखातेदार राधावल्लभ आ0 फतेहलाल ब्राह्मण का संपूर्ण हिस्सा सिलींग अधिग्रहण हुआ था परन्तु नामांतकरण के शेष खसरा संख्यान में अन्य सहखातेदारान के साथ राधावल्लभ का नाम सहवन से पूर्व के भांति दर्ज रह गया था जो कि बदस्तूर चला आ रहा है जबकि मुताबिक न्यायालय आदेश सरकार बनाम हवाला माफीदार रमावल्लभ में राधावल्लभ का नाम विलोपित होना था। तहसीलदार के0पाटन के पत्रांक 922 दिनांक 06.08.81 से श्रीमान् सहा0 जिलाधीश(प्रथम) बून्दी को लिखे पत्र में भी राधावल्लभ की भूमि सिलिंग अधिग्रहण होने के कारण उक्त खातो के बंटवारा प्रस्ताव में रमावल्लभ का नाम अंकित नहीं किये जाने बाबत् निवेदन किया है। उक्त त्रुटि बंदोबस्त की पूर्व की है। पत्रावली में उपस्थित जमाबंदी सम्वत् 2073–76 ग्राम पीपल्दाथाग खतौनी संख्या 89 के अवलोकन से उक्त कृषि भूमि में राधावल्लभ का हिस्सा 1/5 अंकित होना स्पष्ट है तथा जमाबंदी सम्वत् 2072–75 ग्राम माखीदा खतौनी संख्या 140 के अवलोकन से उक्त कृषि भूमि में राधावल्लभ का हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी

2/5 अंकित होना स्पष्ट है। प्रतिलिपी नामांतकरण संख्या 45 दिनांक 07.12.1976 ग्राम पीपल्दाथाग में राधावल्लभ की भूमि सिलिंग में अधिग्रहण होने का नोट अंकित है। इसी प्रकार प्रतिलिपी नामांतकरण संख्या 38 दिनांक 06.09.1977 ग्राम माखीदा में राधावल्लभ की भूमि सिलिंग में अधिग्रहण होने का नोट अंकित है। पत्रावली में प्रस्तुत जवाब सरकार एवं संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषिभूमियों में राधावल्लभ का हिस्सा पूर्व में सिलिंग में अधिग्रहण हो चुका है जिसका इन्द्राज नामांतकरण में भी अंकित है। उक्त नामांतकरण में राधावल्लभ का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जाना चाहिए था किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से आज भी जमाबंदी में राधावल्लभ का हिस्सा अंकित है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा भी बार–बार उक्त ग्रामों की जमाबंदी में राधावल्लभ का नाम सहवन से बदस्तूर इन्द्राज होने का पत्र में उल्लेखित किया गया है। हमारे मत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि जमाबंदी ग्राम पीपल्दा थाग की खाता संख्या 89 की कृषिभूमि खसरा संख्या 564 रकबा 0.70है0, खसरा संख्या 565 रकबा 0.10है0, खसरा संख्या 569 रकबा 0.10है0, खसरा संख्या 570 रकबा 0.14है0, खसरा संख्या 571 रकबा 0.22है0, खसरा संख्या 572 रकबा 0.15है0, खसरा संख्या 573 रकबा 0.14है0, खसरा संख्या 575/1396 रकबा 0.12है0, खसरा संख्या 583 रकबा 1.13है0, खसरा संख्या 584 रकबा 0.14है0, खसरा संख्या 585 रकबा 0.01है0, खसरा संख्या 588 रकबा 0.11है0, खसरा संख्या 589 रकबा 0.92है0, खसरा संख्या 590 रकबा 0.03है0, खसरा संख्या 591 रकबा 0.90है0, खसरा संख्या 592 रकबा 0.98है0 कुल खसरे 16 कुल रकबा 5.89है0 एवं जमाबंदी ग्राम माखीदा की खाता संख्या 140 की कृषिभूमि खसरा संख्या 126/1056 रकबा 0.08है0, खसरा संख्या 130 रकबा 0.08है0, खसरा संख्या 27 रकबा 1.13है0, खसरा संख्या 33 रकबा 0.72है0, खसरा संख्या 34 रकबा 0.54है0 कुल खसरे 5 कुल रकबा 2.55है0 में सहवन से दर्ज सहखातेदार राधावल्लभ जाति ब्राह्मण का नाम विलोपित कर नियमतः राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 7.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

लाखेरी(बून्दी)